

न्यायालय : अति० जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : डा. गुजन सोनी, आर०ए०एस०

अपील प्रकरण सं० 16/2017

1. गुलाबी बाई पुत्री श्रीजीवनराम जाति बांवरी, आयु करीब 75 वर्ष निवासी कालवासिया तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर वजरिए मुखत्यारखास काशीराम पुत्र श्री किशनाराम जाति बांवरी निवासी 17 जी.एम. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
अपीलार्थी

बनाम

1. गोपीराम पुत्र श्री वीरवलराम जाति बांवरी निवासी बहरामपुरा बोदला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. मेघराज पुत्र श्री वीरवल राम जाति बांवरी निवासी बहरामपुरा बोदला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोंडेंट्स

अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार राजस्व सादुलशहर आदेश दिनांक 03.01.2017 प्रकरण संख्या 18/2016 जिसके द्वारा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी निरस्त किया गया, निरस्त किये जाने आदेश व कब्जा दिलवाये जाने।

उपरिस्थित :

1. श्री फलभूर सिंह अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री ओमप्रकाश बतरा अधिवक्ता रेस्पोंडेंट्स

:: आदेश ::

दिनांक :- 18.03.2021

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि निर्णय दिनांक 03.01.2017 खिलाफ कानून व तथ्यों के विपरीत व आधारहीन होने से अस्वीकार किये जाने योग्य है। तहसीलदार राजस्व सादुलशहर द्वारा इस तथ्य को नजर अन्दाज कर दिया गया कि अपीलार्थीया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वारिस प्रमाण पत्र व राशन कार्ड की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि अपीलार्थीया जीवनराम की विधिक उत्तराधिकारी है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य पर गौर नहीं किया व ना ही माननीय न्यायालय द्वारा रिमान्ड प्रकरण में दी गई गाईड लाईन पर गौर किया गया, इसलिए निर्णय खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज एवं साक्ष्य पर गौर नहीं किया गया जिनके आधार पर अपीलार्थीया रेस्पोंडेंट से कानूनन कब्जा प्राप्ति की अधिकारी थी। इसलिए निर्णय काबिले खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि वसीयत एवं वारिसान के सम्बन्ध में प्रकरण अन्य न्यायालयों में विचाराधीन है जबकि रेस्पोंडेंट द्वारा जो वसीयत तैयार की गई थी वह फर्जी वसीयत थी जिसका आपराधिक मुकदमा अपीलार्थीया द्वारा रेस्पोंडेंट्स मेधराम व श्रवणराम वगैरा के विरुद्ध दर्ज करवाया गया जिसमें वसीयत की जांच पुलिस थाना सादुलशहर द्वारा एफ.एस. एल. से करवाई गई और एफ.एस.एल. की रिपोर्ट के अनुसार वसीयत फर्जी पायी गई तथा रेस्पोंडेंट मेघराज द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे संख्या 1 श्रीगंगानगर के प्रस्तुत किया जो न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री की इजराज के सम्बन्ध में अंकित किया है कि इजराज किसके पक्ष में होगी, जबकि इस प्रकरण में किसी प्रकार का निर्णय या

सी. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर



अपालाथाया निम्नालेखित निवेदन करती है:-

[Handwritten signature]

डिकी पारित ही नहीं की गई, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का निर्णय साईक्लो स्टाईल के आधार पर दिया गया है जबकि इस प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य ही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत कानूनी बिन्दू व साक्ष्य को नजर अन्दाज करके निर्णय किया गया है इसलिए निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है व अपीलार्थिया कब्जा प्राप्ति की अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत बहुत पुराने राशन कार्ड पर गौर नहीं किया जबकि राशन कार्ड में प्रार्थिया के पुत्रों के नाम दर्ज है तथा जीवनराम के दोहते दर्ज है। अतः अपील स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 03.01.2017 तहसीलदार सादुलशहर निरस्त किया जाकर क्या आराजी अपीलार्थिया को दिलवाए जाने के आदेश दिये जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

A- यह पूर्णतया: साबित है कि जीवनराम द्वारा कृषि भूमि जरिये वैयनामा दिनांक 19.01.1973 व 22.01.1973 के द्वारा खरीद की गई। इसलिए जीवनराम स्वतः ही इस भूमि का खातेदार काश्तकार व हकदार हो गया तथा जीवनराम की मृत्यु दिनांक 18.10.1996 को हुई।

B- वारिस प्रमाण पत्र सरपंच कलावती द्वारा जारी किया गया है जिस पर वार्ड पंच गुरमीत कौर, वार्ड पंच साहबराम, वार्ड पंच प्यारासिंह के अंगूठा/हस्ताक्षर हैं। इसके अनुसार प्रार्थिया गुलाबीबाई ही जीवनराम की जायज वारिस है। अन्य जो भी वारिस प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं वह सभी इसके पश्चात के हैं व अप्रार्थी द्वारा नाजायज प्रभाव से व मिल मिलाकर तैयार करवाये हैं इस तथ्य की जांच हेतु अधीनस्थ न्यायालय ने किसी भी गवाह जो कि वारिस प्रमाण पत्र के हैं गय रिकॉर्ड तलब ही नहीं किया मात्र दिनांक व कमांक के अभाव में अस्वीकार किया गया है जबकि जब तक इस पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों को तलब नहीं किया जाता और वे वारिस प्रमाण पत्र से इन्कार नहीं करते तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि वारिस प्रमाण पत्र गलत बना है या गुलाबी बाई वारिस नहीं है।

C- प्रार्थिया द्वारा राशन कार्ड की तस्दीक प्रस्तुत की गई है जिसमें जीवनराम के दोहतीयां व दोहते जिनमें काशीराम दोहता, परमेश्वरी दोहता की बहू, राजू दोहता व सीता, मूरली दोहतीयां परिवार के सदस्य सरपंच की तस्दीक दिनांक 19.10.2015 के अनुसार है। इस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय ने नजर अन्दाज कर दिया जबकि उक्त दोहते व दोहतीयां गुलाबी बाई के पुत्र व पुत्रीयां हैं। इस तथ्य की बिना जांच किये केवल गांव के दो व्यक्तियों रूडाराम व नाहराराम के शपथ पत्र पर विश्वास किया। ये दोनो व्यक्ति अप्रार्थीगण के रिश्तेदार व मिलने वाले हैं जयकि सरपंच का रिकॉर्ड राशन कार्ड के सम्बन्ध में जो प्रस्तुत हुआ है एक लोक दस्तावेज व पुराना दस्तावेज है उस पर विश्वास ना करने का कोई कारण नहीं था।

D- अधीनस्थ न्यायालय ने विभिन्न न्यायालय में प्रकरण लम्बित होना बताया जबकि इस बिन्दु के निर्णय में यह कहीं नहीं लिखा कि किस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है व उसका क्या प्रभाव धारा 183 बी के निर्णय पर है जबकि इस प्रकरण के सम्बन्ध में कोई भी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन नहीं था।

E- अप्रार्थीगण द्वारा सर्वप्रथम पटवारी हल्का के समक्ष वसीयत दिनांक 22.04.1991 तस्दीक दिनांक 23.04.1991 द्वारा जगदीश राय गुप्ता नोटेरी पब्लिक की पेश की है व अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वसीयत दिनांक 29.12.1994 की पेश की है जो कि आपराधिक प्रकरण एफ.आई.आर. नम्बर 03/2015 की जांच में फर्जी पाई गई जिसकी एफ.एस.एल. रिपोर्ट व चालान (आरोप पत्र) की प्रमाणित प्रतियां व फोटो प्रतियां मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार जिन वसीयतों जिसके आधार पर अप्रार्थीगण अपना हक या कब्जा बता रहे हैं वह दोनों एकदम फर्जी साबित हुई है। गोपीराम व मेघराज न्यायिक अभिरक्षा में रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य साबित होने पर भी अतिक्रमियों को

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर



वेदखल ना कर कानूनी भूल की है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों को नजर अन्दाज करके निर्णय पारित किया है।

F- अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत का विन्दु तय करते समय अपने आदेश के विन्दु संख्या 4 में वसीयत दिनांक 29.12.1994 का जिक्र किया है कि सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवाई है। उक्त वसीयत आपराधिक प्रकरण एफ.आई.आर. नम्बर 03/2015 की जांच में फर्जी पाई गई जिसकी एफ.एस.एल. रिपोर्ट व चालान (आरोप पत्र) की प्रमाणित प्रतियां व फोटो प्रतियां मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसलिए प्राईमा फेसाई अप्रार्थीगण अतिक्रमी साबित हो गये तो वे कृषि भूमि पर काबिज रहने के हकदार ही नहीं है।

G- अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय के विन्दु संख्या 5 व 6 में अंकित किया है इजराज का प्रकरण व निर्णय व डिक्री के प्रकरण विचाराधीन है जबकि इस प्रकरण में केवल डिक्री की इजराज विचाराधीन है। दूसरे प्रकरण के तथ्य इस प्रकरण में अंकित करने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विना मान्ड एप्लाई किये व साइकलो स्टाईल पारित निर्णय की परिभाषा में आता है।

H- अधीनस्थ न्यायालय ने अपील के निर्णय दिनांक 20.09.2016 न्यायालय अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के आदेश में दिये गये निर्देशों की पालना के विपरीत निर्णय दिया गया है क्योंकि माननीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर निर्णय करने के निर्देश दिये गये थे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को साक्ष्य पेश करने का कोई भी अवसर नहीं दिया गया व ना ही निर्णय से पूर्व साक्ष्य बन्द किये जाने के आदेश आदेशिका में दिये गये है। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के प्रथम पृष्ठ के पैरा नम्बर 3 में सीधे ही " प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई की गई " सीधे ही बहस सुनी जाकर निर्णय दिया गया है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने रिमाण्ड आदेशों/निर्देशों की पालना नहीं की गई है जबकि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार अपयीलार्थिया जीवन राम की पुत्री साबित है तथा रिसपोडेन्ट का कब्जा बतौर अतिक्रमी होने से वेदखल किये जाने योग्य है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिमाण्ड आदेश की पालना में अतिरिक्त साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किये जाने से आदेश निरस्त योग्य है।

I- जहां पर कब्जा के सम्बन्ध में विवाद हो या टाईटल क्लीयर ना हो तो वहां पर कोई भी पक्ष कृषि भूमि की आय का नाजायज लाभ ना उठा सके वहां न्यायालय को उक्त विवादित रकबा रिसीवर किये जाकर प्राप्त राशि सुरक्षित रखे जाने के प्रावधान है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यदि प्रकरण विवादित लगता था या टाईटल क्लीयर नहीं तो रिसीवर करने के आदेश दिये जाने चाहिए थे जिससे हितबद्ध पक्षकार के हितों की रक्षा हो सके। इसलिए आदेश कानून के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

J- अप्रार्थी द्वारा बार-बार वसीयते अलग अलग तारीखों की फर्जी तैयार करने से इस तथ्य को बल मिलता है कि अप्रार्थी ने कानून को असफल करने व अपने बचाव का हर प्रयत्न किया गया है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को नजर अन्दाज कर अपीलकृत आदेश जारी किया है जो निरस्त योग्य है।

K- अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय विन्दु व साक्ष्य उपलब्ध रही है कि माननीय हाईकोर्ट जोधपुर के निर्णय दिनांक 18.04.2014 एवं प्रभुराम का प्रार्थना पत्र पर दिये आदेश दिनांक 10.12.1997 अन्तर्गत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के द्वारा यह साबित था कि प्रभुराम विक्रेता के पुत्र द्वारा प्रार्थीया को जीवन राम की पुत्री होना स्वीकार किया गया है। उक्त साक्ष्य पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का गौर या विवेचन नहीं करके निर्णय पारित किया गया है। इसलिए आदेश निरस्त योग्य है।

L- अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निष्पक्ष व प्राकृतिक न्याय के अनुसार नहीं है। एकपक्षीय साक्ष्य पर गौर करके निर्णय दिया गया है।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि बहस में अंकित विन्दुओं के अनुसार अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.01.2017 निरस्त किया

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर




जाकर प्रार्थना पत्र 183 बी आरटीए स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट को बेदखल कर कब्जा अपीलार्थिया को दिलाये जाने के आदेश दिये जावें।

- अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अंकित किया कि :-
1. धारा 183(बी) आरटीएक्ट के तहत दावा वही कर सकता है जो खातेदार है, अपीलांटा किसी प्रकार से विवादित रकबा की खातेदार नहीं है क्योंकि रकबा आज तक केसर राम के नाम दर्ज है, जीवनराम के नाम इंतकाल अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। गुलाबी बाई को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) आरटीएक्ट पेश करने का कोई अधिकार ही नहीं था, इसलिए अपील अपीलांटा खारिज करने योग्य है।
 2. अपीलांटा जीवनराम की लड़की नहीं है क्योंकि जीवनराम की पत्नी रामदेवी का देहांत हो गया था, उसका वारिस प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए जीवनराम ने दिनांक 30.04.1990 को तहसील राजस्व, सादुलशहर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उसने खुद लिखा कि मेरी कोई लड़की नहीं है, इस प्रार्थना पत्र पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 25.05.1990 को वारिस प्रमाण पत्र जारी किया गया। जिसमें लिखा कि रामदेवी का कोई लड़का व लड़की नहीं है, अकेला जीवनराम ही वारिस है दिनांक 06.08.2009 को जीवनराम का प्रमाण पत्र जारी किया गया। जीवनराम ने रेस्पोडेन्टान के हक में वसीयत कर दी थी तथा रेस्पोडेन्टान ही जीवन राम की भूमि के हकदार है। इसके अलावा मोहन लाल पुत्र प्रेमराम, रूडाराम पुत्र पीराराम, नानकराम पुत्र रूघाराम गांव के लोगों ने शपथ पत्र प्रस्तुत किये कि गुलाबी बाई जीवनराम की लड़की नहीं है ना ही इस जमीन पर गुलाबी बाई का कब्जा रहा। गुलाबी बाई ने प्रमाण पत्र जारी करवाया जो ग्राम पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, उस फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर वह अपने आपको गुलाबी बाई पुत्री जीवनराम होना बता रही है, रेस्पोडेन्टान द्वारा गुलाबी बाई के खिलाफ 420 आईपीसी का मुकदमा दर्ज करवाया, जिसकी जांच चल रही है।
 3. जीवनराम ने जो जमीन खरीद की थी, जिसका निर्णय जीवनराम के हक में किया गया। जीवनराम का देहांत हो गया, कालूराम ने उस आदेश की पालना में इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया, जो जिला न्यायाधीश श्रीगंगानगर में चल रहा है, उसमें गुलाबीबाई ने अपने आपको जीवनराम की पुत्री होना बताकर पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र पेश किया, जो कि जिला न्यायाधीश श्रीगंगानगर द्वारा खारिज कर दिया गया। जिला न्यायाधीश श्रीगंगानगर ने गुलाबीबाई को जीवनराम की उत्तराधिकारी होना नहीं माना। आदेश की नकल सलग्न है।
 4. जिला न्यायाधीश श्रीगंगानगर द्वारा गुलाबीबाई को जीवनराम की लड़की नहीं माना इसलिए अपीलांटा की अपील चलने योग्य नहीं है। अतः अपीलांटा की अपील खारिज की जावें।
 5. रेस्पोडेन्टान ने अपने जवाब में यह दर्ज किया कि अपीलांटा का प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद नहीं है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें क्योंकि धारा 183(बी) आरटीएक्ट का प्रार्थना पत्र 12 वर्ष की अवधि में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है जबकि रेस्पोडेन्टान का कब्जा 30 वर्ष से अधिक समय से चला आ रहा है। इस सम्बन्ध में गुलाबी बाई ने तहसीलदार राजस्व, सादुलशहर के समक्ष बयान दिये कि गोपीराम का कब्जा 15 साल से है तथा गोपीराम ने उक्त भूमि में ढाणी बना रखी है। 20 साल से जमीन को गोपीराम व मेघराज काशत कर रहे हैं। अपीलांटा स्वयं यह मान रही है कि जमीन का कब्जा 20 साल से रेस्पोडेन्टान के पास है।
 6. अपीलांटा ने एक इस्तगासा रेस्पोडेन्टान के खिलाफ पेश किया कि गोपीराम व मेघराज द्वारा फर्जी वसीयत बनवा ली है, जिस पर जीवन राम के हस्ताक्षर व अंगूठा नहीं है, यह इस्तगासा मुसिफ न्यायालय सादुलशहर में पेश किया, जो धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत एस.एच.ओ सादुलशहर को भेजा गया, जिस पर रेस्पोडेन्टान के खिलाफ चालान पेश किया गया, अब मामला माननीय राज0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जब तक माननीय राज0 उच्च न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया जाता, तब तक वसीयत को फर्जी नहीं माना जा सकता, अतः अपीलांटा अनुतोष पाने की अधिकारी नहीं है।
 7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया वह अतिरिक्त जिलाधीश, श्रीगंगानगर के निर्देशों की पालना करते हुए पारित किया गया है, तमाम निर्देशों का


अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर



अपीलांटा को प्रमाणित प्रस्तुत करने के लिए:-



उल्लेख निर्णय में किया हुआ है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तमाम कानूनी प्रक्रिया अपनाकर निर्णय पारित किया गया है। लिहाजा अपील पेश करके अर्ज है कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर अपीलाटा की अपील खारिज करने का आदेश फरमाया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि—

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर श्रीगंगानगर को अनवानी प्रकरण में निर्णय दिनांक 20.09.2016 पारित करते हुए दोनो पक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय पारित करने के निर्देश दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सादुलशहर द्वारा अपीलाट को जारी वारिस प्रमाण पत्र एवं राशन कार्ड के सम्बन्ध में सम्बन्धित पक्षकारान को तलब कर किसी प्रकार की साक्ष्य नहीं ली जाकर केवल मात्र अन्य दो व्यक्तियों के शपथ पत्र के आधार पर वारिस प्रमाण पत्र को सही होना नहीं माना जो न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सादुलशहर को सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव को तलब कर लिखित बयान एवं शपथ पत्र लेना चाहिए था एवं राशन कार्ड के सम्बन्ध में सम्बन्धित ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड तलब कर रिकॉर्ड से मिलान करना चाहिए था। अगर वारिस प्रमाण पत्र एवं राशन कार्ड सही पाये जाते तो उसको साक्ष्य में ग्राह्य किया जाना चाहिए था अगर फर्जी पाये जाते है तो फर्जी वारिस प्रमाण पत्र एवं राशन कार्ड जारी करने वाली संस्था के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए थी जो उसके द्वारा नहीं की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वसीयत दिनांक 22.04.1991 तस्दीक दिनांक 23.04.1991 द्वारा जगदीश राय गुप्ता नोटेरी पब्लिक की पेश की अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.12.1994 की पेश की है। वह आपराधिक प्रकरण एफ.आई.आर. नम्बर 03/2015 की जांच में फर्जी पाई गई। जिसकी प्रतियां अधिवक्ता अपीलाटा द्वारा फार्म नम्बर 03 के साथ पेश की गई है। उक्त वसीयत के सम्बन्ध में वसीयत फर्जी है या नहीं का प्रकरण माननीय राज0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

जीवनराम ने जो जमीन खरीद की थी, जिसका निर्णय जीवनराम के हक में किया गया। जीवनराम का देहांत हो गया, कालूराम ने उस आदेश की पालना में इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया, जो जिला न्यायाधीश श्रीगंगानगर में चल रहा है, उसमें गुलाबीबाई ने अपने आपको जीवनराम की पुत्री होना बताकर पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र पेश किया, जो कि जिला न्यायाधीश श्रीगंगानगर द्वारा खारिज कर दिया गया। " जिला न्यायाधीश श्रीगंगानगर ने अपनी आदेश दिनांक 18.07.2018 द्वारा अंकित किया है कि उक्त इजराय प्रकरण जिला न्यायाधीश हनुमानगढ के न्यायालय से प्राप्त हुई है उन्होने इजराय इस न्यायालय को पालनार्थ अन्तरण प्रमाण पत्र के साथ भेजी है यदि किसी प्रकार की चाराजोई प्रार्थीया को पक्षकार बनने सम्बन्धी करनी है तो वह मूल न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 हनुमानगढ में कर सकती है। इस न्यायालय को इस प्रकार की आपत्तियां को निर्णीत करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।" जिला न्यायाधीश श्री गंगानगर द्वारा अपनी आदेशिका में ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अपीलाटा जीवनराम की पुत्री है या नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार सादुलशहर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.01.2017 निरस्त किया जाता है। अपील अपीलाट रिमाण्ड की जाकर तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित पक्षकारान को अपने साक्ष्यों के सम्बन्ध में विधिवत् रूप से सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं रिकॉर्ड लौटाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 18.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(भवानी सिंह पंवार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर